न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 05, गाजियाबाद।

सत्र परीक्षण संख्या- 89/2021

सरकार बनाम अंकुर आदि

मु.अ.स.- 471/2020

थाना- सिहानी गेट, गाजियाबाद।

04.10.2023-

1- पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सुभाष व अंकुर उपस्थित है तथा अभियुक्ता रेखा की जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी आज हेतु स्वीकृत की गयी।

2– अभियुक्त अंकुर के अधिवक्ता द्वारा कागज संख्या 13 ख मय शपथ पत्र का.स. 14 ख द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश अंतर्गत प्रार्थना पत्र (अंतर्गत धारा 482 द.प्र.स.) संख्या 31260/2023 की सत्यापित प्रतिलिपि (का.स. 15 ख) को पत्रावली में दाखिल करने तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन हेतु उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी।

3– सुना, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ससम्मान अवलोकन किया।

4– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली के शीघ्र निस्तारण हेतु निम्न आदेश पारित किया गया है कि,

> ''Considering the facts and circumstances of the case, the trial court concerned is directed to make and endeavour to decide the pending case referred to above strictly in accordance with law with in a period of ten months expeditiously preferably without granting any unnecessary or unduly adjournments to the parties concerned.''

उक्त आदेश के परिशीलन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस पत्रावली का दस माह से पूर्व निस्तारण हेतु आदेशित किया गया है, अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन हेतु प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र का.स. 13 ख स्वीकार किया जाता है। अभियोजन को हिदायत दी जाती है कि अभियोजन साक्षियों को शीघ्रता के आधार पर न्यायालय में उपस्थित करा कर उनके साक्ष्य अंकित कराया जाना सुनिश्चित करें। संबंधित पैरोकार को आदेशित किया जाता है कि साक्षियों के सम्मन निकालना सुनिश्चित करें ताकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का अनुपालन समयबद्ध सीमा में किया जा सके।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 13.10.2023 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं 05, गाजियाबाद

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2023.10.04 16:46:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court